प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
खंड न्यायपीठ

कोरम : माननीय श्री एस.आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश
: माननीय श्री डी.आर. देशमुख, न्यायाधीश

रिट याचिका संख्या: 952/2001

याचिकाकर्ता :

1. छतीसगढ़ राज्य, द्वारा प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर.

2. खंड शिक्षा अधिकारी,
   मलखरौदा, जिला - जांजगीर-चांपा

3. संयुक्त संचालक,
   कोष एवं लेखा विभाग,
   बिलासपुर संभाग, बिलासपुर

4. संयुक्त संचालक,
   लोक शिक्षण,
   बिलासपुर, छतीसगढ़

- बनाम -

उत्तरवादीगण :

1. फूलसाई सोने,
   आयु लगभग 65 वर्ष,
   पिता श्री राम राय,
   सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक,
   कन्या प्राथमिक शाला,
   मलखरौदा,
   जिला - जांजगीर-चांपा,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निवासी - ग्राम एवं पोस्ट मलखरौदा, जिला - जांजगीर-चांपा।

2. रजिस्ट्रार,
म.प्र. प्रशासनिक न्यायाधिकरण, रायपुर पीठ,
रायपुर - छत्तीसगढ़।

उपस्थित : श्री उत्कर्ष वर्मा, उप शासकीय अधिवक्ता,
राज्य/याचिकाकर्ता के लिए ।
श्री आशीष श्रीवास्तव, उत्तरवादी क्रमांक 1. के लिए अधिवक्ता ।

मौखिक आदेश

(दिनांक 21 अप्रैल 2006 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित मौखिक आदेश न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

एस.आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश:

छत्तीसगढ़ राज्य और उसके प्राधिकारीगण, मध्यप्रदेश प्रशासनिक अधिकरण, रायपुर पीठ (संक्षेप में "अधिकरण") द्वारा दिनांक 19/12/2000 को मूल आवेदन क्रमांक 709/1999 में पारित आदेश से असंतुष्ट होकर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत यह रिट याचिका प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं :

प्रथम उत्तरवादी को दिनांक 1/7/1959 से सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें दिनांक 1/10/1963 से सहायक शिक्षक के रूप में संविलयन किया गया। इस पद पर सेवा करते हुए, चौधरी वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, प्रथम उत्तरवादी का वेतनमान ₹515-10-575-15-800-25-925 निर्धारित किया गया। दिनांक 25/10/1985 को उन्हें ₹529.30 वेतन की बकाया राशि का भुगतान किया गया। प्रथम उत्तरवादी ने वर्ष 1981 में हिंदी प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा 2/5/1976 से 31/5/1976 की अवधि में विज्ञान प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण के फलस्वरूप प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत, प्रथम उत्तरवादी को समयमान पदोन्नति योजना के अंतर्गत ₹635-950 का वेतनमान प्रदान किया गया, तथा अगली वेतन वृद्धि की तिथि 30/07/1983 निर्धारित की गई। दिनांक 1/1/1986 को प्रथम उत्तरवादी का वेतन ₹1250 प्रतिमाह निर्धारित किया गया, और अगली वेतन वृद्धि की तिथि 30/07/1986 रखी गई। इसके अतिरिक्त, 1990 के वेतन

निर्धारण नियमों के अनुसार, प्रथम उत्तरवादी का वेतन ₹1200-40-1440-50-2040 के वेतनमान में निर्धारित किया गया, जिसमें अगली वेतन वृद्धि की तिथि पुनः दिनांक 30/07/1986 थी। यह भी कहा गया है कि उन्हें ₹910 की बकाया राशि का भुगतान किया गया। बाद में, प्रथम उत्तरवादी को प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया और उनका मूल वेतन ₹1490 निर्धारित किया गया। प्राथमिक शाला, अडमार में प्रधानाध्यापक के रूप में सेवा देने के बाद, प्रथम प्रतिवादी ने दिनांक 31/07/1998 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्ति हुए । सेवानिवृत्ति के उपरांत, प्रथम उत्तरवादी की सेवा पुस्तिका को उनकी पेंशन संबंधी दावों के निपटान हेतु कोष, लेखा और पेंशन के संयुक्त संचालक, बिलासपुर को भेजा गया। कोष के सह निदेशक ने यह राय दी कि प्रथम उत्तरवादी का वेतन ₹515-925 के वेतनमान मे नियत किया जाना गलत था, और वे केवल ₹485-740 के वेतनमान के पात्र थे। उपरोक्त राय के आधार पर, प्रथम उत्तरवादी से ₹1,03,715 की वसूली की गई, जिसे उनके वेतन में अधिक भुगतान की गई राशि बताया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस स्थिति में, प्रथम उत्तरवादी ने अधिकरण के समक्ष मूल आवेदन (ओ.ए) क्रमांक 709/1999 प्रस्तुत किया, जिसमें यह तर्क दिया गया कि उनका वेतन ₹515-925 के वेतनमान में किया जाना विधिसम्मत एवं नियमित था, और कथित अधिक भुगतान की वसूली का आदेश मनमाना और अन्यायपूर्ण और अवैध है। याचिकाकर्ताओं ने जवाबदावा (उत्तर-पत्र) दाखिल कर मूल आवेदन का विरोध किया। अपने जवाबदावा, याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया कि चूँकि प्रथम उत्तरवादी एक अप्रशिक्षित शिक्षक थे, अतः उनका वेतन ₹515-925 के स्थान पर ₹485-740 के वेतनमान में निर्धारित किया जाना चाहिए था। अधिकरण ने इस मामले में संयुक्त संचालक कोषालय लोक शिक्षण संचालनालय (म.प्र.) द्वारा दिनांक 22/11/1979 को जारी परिपत्र, जिसे अधिकरण के समक्ष अनुलग्नक A-13 के रूप में अंकित किया गया है, पर भरोसा रखते हुए यह मत व्यक्त किया कि प्रथम उत्तरवादी को ₹515-925 के वेतनमान में वेतन निर्धारण करना उचित एवं विधिसम्मत था। वैकल्पिक रूप से, अधिकरण ने यह भी कहा कि चूंकि प्रथम उत्तरवादी/कर्मचारी द्वारा कोई कपटपूर्ण या भ्रामक जानकारी नहीं दी गई थी, और याचिकाकर्ता ने स्वयं ही उनका ₹515-925 के वेतनमान में वेतन निर्धारण किया था, इसलिए आक्षेपित वसूली अनाधिकृत था एव कायम नहीं रखा जा सकता । इस संबंध में, अधिकरण ने ***साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य***[1] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भी भरोसा

1. *1995 Supp (1) SCC 18*

जताया। फलस्वरूप, अधिकरण ने मूल आवेदन को स्वीकार कर लिया तथा आक्षेपित कार्यवाही को अभीरक्षित करते हुए याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे प्रथम उत्तरवादी के पेंशन संबंधी दावों का निपटान करें। उपरोक्त आदेश से असंतुष्ट होकर यह रिट याचिका दायर की गई है।

हमने दोनों पक्षकारो के अधिवक्ताओं को सुना। याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि चूंकि स्वीकृत रूप से प्रथम उत्तरवादी एक प्रशिक्षित शिक्षक नहीं थे, अतः चौधरी वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वे ₹515-925 के वेतनमान के पात्र नहीं थे। इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रथम उत्तरवादी से ₹1,03,715/- की राशि, को वसूली करने की कार्रवाई को अनुचित नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर, प्रथम उत्तरवादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधिकरण के आक्षेपित आदेश का समर्थन किया।

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद, हमारे समक्ष विचारणीय एकमात्र प्रश्न यह है कि - क्या याचिकाकर्ता प्रथम उत्तरवादी से ₹1,03,715/- की कथित अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करने के अपने निर्णय में विधिसम्मत और न्यायोचित था ?

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रारंभ में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यह किसी भी पक्ष का तर्क नहीं है कि प्रथम उत्तरवादी ने कोई कपटपूर्ण विवका प्रस्तुत किया था, जिसके कारण उनका वेतन ₹515-925 के वेतनमान में निर्धारित किया गया। वस्तुतः, विभाग ने स्वयं ही चौधरी वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रथम उत्तरवादी का वेतन उक्त वेतनमान में निर्धारित किया था। प्रथम प्रतिवादी ने अपनी सेवा अवधि में इस वेतनमान का लाभ लिया और अधिवर्षिता की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गए। यह आक्षेपित कार्रवाई (वसूली की प्रक्रिया) को सेवा-निवृत्ति के पश्चात ही प्रारंभ की गई। यदि यही तथ्यात्मक स्थिति है, तो हमारे विचार में, इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (उपर्युक्त)** के प्रतिपादित विधि मामले में इस प्रकरण के तथ्यों पर पूर्णतः लागू होता है। केवल इसी आधार पर आक्षेपित कार्रवाई को कायम नहीं रखा जा सकता और यह अभीखंडित किये जाना योग्य है। फिर भी, यदि हम मामले के गुण-दोष के आधार पर भी देखें, तो यह कहना उचित होगा कि प्रथम उत्तरवादी का वेतन ₹515-925 के वेतनमान में निर्धारित किया जाना विधिसम्मत एवं नियमित था। अनुलनक A-13 का वह परिपत्र जिसका उल्लेख हमने किया है दिया है, एक परिपत्र है जो यह निर्देश देता है कि सभी सहायक शिक्षक — चाहे उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया हो या नहीं — यदि उन्होंने 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है या उनकी आयु 50 वर्ष हो चुकी है, तो वे चौधरी वेतन आयोग की

सिफारिशों के अनुसार वेतन निर्धारण के पात्र हैं। दोनों पक्षों के बीच इस तथ्य को लेकर कोई विवाद नहीं है कि संबंधित तिथि को प्रथम उत्तरवादी ने 20 वर्षों से अधिक की अर्हक सेवा पूरी कर ली थी। इस तथ्य को अधिकरण ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से दर्ज किया है, और विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने भी हमारे समक्ष इस तथ्य को नकारा नहीं है। यदि ऐसा है, तो प्रथम उत्तरवादी का वेतन ₹515-925 के वेतनमान में निर्धारित किया जाना पूरी तरह से विधिसम्मत और नियमित है। किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर हमें अधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई ठोस या पर्याप्त आधार नहीं दिखाई देता।

यह रिट याचिका गुणहीन है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है। मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षकार अपने-अपने व्यय स्वयं वहन करेंगे।

सही /-
मुख्य न्यायाधीश

सही /-
दिलीप रावसाहेब देशमुख,
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण : हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By - Adv. Abhishek Kumar Rai.